



13954 - मोजे का चमड़े का होना शर्त नहीं है

प्रश्न

जिस मोजे पर मसह किया जाता है उसे किस तरह का होना चाहिए ? क्या किसी भी तरह के मोजे पर मसह करना जाइज़ (धर्मसंगत) है, या उसे चमड़े का होना अनिवार्य है ? आशा है कि आप कुरआन व हदीस की रोशनी में उत्तर देंगे।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

मुगीरा बिन शो'बा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्होंने ने कहा : "नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वुजू किया और मोजे और जूते पर मसह किया।" इसे तिर्मिज़ी (हदीस संख्या : 92) ने रिवायत किया है, और अल्बानी ने "सहीह सुनन तिर्मिज़ी" हदीस संख्या (86) के तहत सहीह कहा है।

"अल-क्रामूस" (नामक शब्दकोश) के लेखक ने कहा : जुराब : पैर के लिफाफा को कहते हैं।

अबू बक्र इब्नुल अरबी ने कहा : जुराब ऊन से बने हुए पैर के ढक्कन को कहते हैं जो (पैर को) गरम रखने के लिए तैयार किया जाता है।

तथा यह्या बिन बक्का से वर्णित है कि उन्होंने ने कहा : मैं ने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को कहते हुए सुना : जुराबों पर मसह करना चमड़े के मोजों पर मसह करने के समान ही है।

इब्ने अबी शैबा की पुस्तक "अल-मुसन्नफ" (1/173)

इब्ने हज़म कहते हैं : जो भी पैरों में पहना जाता है -जिनका पहना जाइज़ है जो दोनों टखनों से ऊपर तक हों- उन पर मसह करना सुन्नत है, चाहे वे चमड़े या लबूद या लकड़ी या हलफा (एक घास का नाम है) के मोजे हों अथवा सन या ऊन या कपास (सूती) या रोआं या बाल -उन पर त्वचा हो या न हो- के जुराब हों, या मोजों के ऊपर मोजे या जुराबों के ऊपर जुराब हों "अल-मुहल्ला" (1/321)

मोजों पर मसह करने के जाइज़ होने के बारे में कुछ विद्वानों ने मतभेद किया है, किंतु शुद्ध बात जो दलीलों से प्रमाणित होती है जैसाकि पीछे गुज़र चुका वह उसकी वैधता है। और अल्लाह तआला ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान रखता है।



तथा प्रश्न संख्या (9640)

इस्लाम प्रश्न और उत्तर